

::आदेश::

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग के पत्रांक-1895/16C दिनांक 01-06-2022 के अनुसार भारत सरकार के पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/06/95/2021/एफ0सी0/1101 दिनांक 29.11.2021 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत डुंगरा (बच्छणस्यू) से आरस्यू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.69 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त भूमि के सापेक्ष ग्राम श्रीकोट लग्गा डुंगरा के खसरा संख्या- 867 व 868 सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा तहसीलदार रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या-599/र0का0-विविध/2021-22 दिनांक 20 जुलाई, 2022 को अग्रसारित कर अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत डुंगरा (बच्छणस्यू) से आरस्यू मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.69 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित की गयी है। उक्त भूमि के सापेक्ष ग्राम श्रीकोट लग्गा डुंगरा की जमींदारी विनाश रहित खतौनी की श्रेणी-9(3)ड. के खाता संख्या-08 के खसरा संख्या- 867 रकवा 3.920 है० मध्ये 3.156 है० तथा खसरा संख्या- 868 रकवा 0.224 है० कुल रकवा 3.380 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने की भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित/अमलदरामद किये जाने हेतु खतौनी, खसरा एवं नक्शा संलग्न कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार रुद्रप्रयाग द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र काण्डई के अन्तर्गत राजस्व ग्राम श्रीकोट लग्गा डुंगरा की ज0वि0र0 खतौनी के श्रेणी-9-3(ड.) के खाता संख्या- 08 के खसरा संख्या- 867 रकवा 3.920 है० मध्ये 3.156 है० तथा खसरा संख्या- 868 रकवा 0.224 है० कुल 3.380 है० चयनित/प्रस्तावित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह०/-

(मयूर दीक्षित)

जिलाधिकारी,

रुद्रप्रयाग।

30-07-2022

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 5620 / छब्बीस-04 / 2020-21 / दिनांक: रुद्रप्रयाग: 01 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग-02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।



—क्रमशः2—

(2)

- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
- 7- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जखोली को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल वन विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग।


अपर, जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।
